बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद

(जैव विविधता अधिनियम–2002 के अंतर्गत गठित सरकार का एक सांविधिक निकाय)

बिहार सरकार

जैविक उत्पादों एवं संसाधनों के व्यापारियों तथा पंचायतों की जैव विविधता प्रबन्ध समितियों के लिये सूचना

सं०– 03, तिथि– 11.12.2024

(1) **जैव विविधता अधिनियम, 2002 (संशोधन–2023) की धारा–7 के अन्तर्गत नीचे कण्डिका (2) में उल्लेखित वनस्पतिकीय जैविक संसाधन/उत्पादों, (जिनका उपयोग औषधि, सौंदर्य प्रसाधन, खाद्य एवं पोषण सामग्रियों इत्यादि के रूप में अथवा उनके उत्पादन में होता है) के वाणिज्य व्यापार (खरीद–बिक्री, संग्रहण, भण्डारण, प्रसंस्करण, गुणवत्ता संवर्द्धन, आपूर्ति एवं संबद्ध क्रिया–कलापों) के सम्बन्ध में निम्नांकित नियामक प्रावधान हैं:–**

(क) वाणिज्यिक प्रयोजन से नीचे कण्डिका (2) में उल्लेखित विनियमित जैविक संसाधनों तक पहुँच एवं प्राप्ति (संग्रहण एवं संबद्ध क्रिया–कलाप) के लिये सम्बन्धित व्यापारी द्वारा बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद को पूर्व सूचना दिया जाना अनिवार्य है।

(ख) इनके सम्बन्ध में पंचायतों की जैव विविधता समितियों के लिये निम्नांकित प्रावधान हैं:–

(i) पंचायतों के अधिकारिता क्षेत्र से संग्रहित विनियमित जैविक संसाधनों के वाणिज्यिक संग्रहण एवं विपणन से व्यापारी के फायदा को जैव विविधता प्रबन्ध समिति से बाँटना बाध्यकारी है।

(ii) पंचायत क्षेत्र से इन जैविक संसाधनों का वाणिज्यिक संग्रहण इस प्रकार सुनियोजित रूप से हो ताकि उनकी सतत् उपलब्धता पर प्रतिकूल प्रभाव या उनके संकटापन्न होने की आशंका न हो। जैव विविधता प्रबन्धन समिति को ऐसा सुनिश्चित करने तथा इस प्रयोजनार्थ संकटापन्न प्रजाति के वनस्पतियों से जैविक संसाधनों/उत्पादों के वाणिज्यिक संग्रहण को निषिद्ध करने की जिम्मेवारी या अधिकार प्रदत्त है।

(2) **विनियमित वनस्पतिकीय जैविक संसाधन/उत्पाद की विवरणीः–**

जैव विविधता अधिनियम, 2002 (संशोधन–2023) की धारा–40 के तहत अधिसूचनाओं (2016 एवं 2017) द्वारा अधिनियम के प्रभाव से विमुक्त घोषित कुल 421 वनस्पतिकीय जैविक संसाधनों (विनिर्दिष्ट पादप भाग - Plant Parts) के अलावे अन्य जैविक संसाधन/उत्पाद जैव विविधता अधिनियम के अन्तर्गत विनियमित श्रेणी में हैं।

ज्ञातव्य है कि *काली मूसली (Curculigo orchiodes), मरोड़ फली (Helicteres isora), अनंतमूल (Hemidesmus indicus), कालमेघ (Andrographis paniculata), सतावर (Asparagus racemosus), कौंच (Mucuna pruriens), कुटज (Holarrhena antidysenterica), पाटला (Stereospermum suaveolens), अर्जुन (Terminalia arjuna), अग्निमन्था (Premna integrifolia)* वैसे जैविक वनस्पतिकीय संसाधन हैं, जो विमुक्त 421 जैविक संसाधनों की श्रेणी में नहीं हैं एवं इनपर कंडिका (1) में उल्लेखित जैव विविधता अधिनियम के प्रावधान लागू होते हैं। बिहार राज्य के कुछेक पंचायतों के लिए जैव विविधता अधिनियम, 2002 (संशोधन–2023) के अनुसरण में उनके जैव विविधता प्रबंधन समितियों को फायदा बांटने/फायदा में हिस्सेदारी की व्यवस्था विगत वर्ष 2023–24 से क्रियान्वित की जा रही है। इससे सम्बन्धित जानकारी एवं पर्षद् तथा सम्बन्धित व्यापारियों के बीच किये गये एकरारनामा पर्षद् के Website- https://bsbb.bihar.gov.in पर देखी जा सकती है।

(3) **एतद्वारा ऐसे सभी व्यापारियों को जो उपर्युक्त कण्डिका (2) में उल्लेखित जैविक उत्पादों का व्यापार करते हैं या करना चाहते हों, उन्हें सूचित किया जाता है कि इस विषय में प्रश्नगत जैविक संसाधनों के नाम, स्रोत स्थान का पंचायत, क्रय स्थान एवं/अथवा भण्डारण स्थान का पंचायत एवं मात्रा का अवधिवार विवरण इस विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों की अवधि में बिहार राज्य जैव विविधता नियमावली, 2017 के नियम–19 के तहत् नियमावली से संलग्न प्रपत्र–1 (पर्षद् के website- https://bsbb.bihar.gov.in पर उपलब्ध) में पूर्व सूचना नीचे कण्डिका (06) के अनुसार उपलब्ध करायी जाय।**

(4) **ज्ञातव्य हो कि उपर्युक्त अनुदशों एवं अधिनियम की सम्बद्ध धाराओं का उल्लघंन जैव विविधता अधिनियम, 2002 (संशोधन–2023) की धारा–55, 56 एवं 57 के तहत् दण्डनीय अपराध है।**

(5) **एतद्वारा पंचायतों के जैव विविधता प्रबन्धन समितियों के अध्यक्ष तथा सचिव (पंचायत सचिव) को सूचित किया जाता है कि अपने पंचायतों के क्षेत्र में ऐसे व्यापारिक क्रिया–कलाप की सूचना बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद् तथा जिले के सम्बन्धित वन प्रमण्डल पदाधिकारी को दी जाय।**

(6) **उपर्युक्त के सम्बन्ध में अपेक्षित सूचना निम्न पदाधिकारियों को दी जाय।**

(i) बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद को निम्नांकित पते परः–
सचिव, बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद्, चतुर्थ मंजिल, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड परिसर, शास्त्रीनगर, पटना–800023; यह सूचना इ–मेल द्वारा भी bdbihar@bihar.gov.in पर प्रेषित की जा सकती है।

(ii) सम्बन्धित जिले के वन प्रमण्डल पदाधिकारी को वन प्रमण्डल कार्यालय में उपलब्ध करायी जाय।

(iii) सम्बन्धित पंचायतों के पंचायत सचिव, जो पंचायतों में गठित जैव विविधता प्रबन्धन समिति के सचिव भी होते हैं, को वांछित सूचना उपलब्ध करायी दी जाय।

11/12/24

सचिव,
बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद्, पटना।

जै व वि वि ध ता – संतुलित पारितंत्र, संरक्षित पर्यावरण सुरक्षित जीवन

जैव विविधता अधिनियम के प्रावधानों का पालन कर जैव विविधता संरक्षण में योगदान करें।

प्रपत्र—1

बिहार राज्य जैव विविधता नियमावली, 2017 का नियम 19 (1) देखें)

जैव विविधता संसाधनों के व्यावसायिक उपयोग और उससे संबंधित पारंपरिक ज्ञान तक पहुँच / संग्रहण करने से पूर्व सूचना का आवेदन प्रपत्र

प्रत्येक आवेदक को आवेदन के साथ ₹10000 (दस हजार रूपये) मात्र का पर्षद के पक्ष में निर्गत डिमांड ड्राफ्ट संलग्न करना है।

भाग-'क'

1. आवेदक का पूर्ण विवरण

(i) गाम :
(ii) स्थाई पता :
(iii) आवेदक के प्राधिकृत प्रतिनिधि/अभिकर्ता (यदि कोई हो) का नाम एवं पता :
(iv) संगठन का विवरण (आवेदक यदि कोई व्यक्ति है तो उस दशा में व्यक्तिगत विवरण) कृपया अधिप्रामाणन के सुसंगत दस्तावेज संलग्न करें :
(v) कारोबार की प्रकृति :
(vi) संगठन का भारतीय मुद्रा में उत्पादन क्षमता :

2. वांछित पहुँच की प्रकृति और जैव सामग्री तथा पहुँच किए जाने वाले संबद्ध ज्ञान के बारे में ब्यौरे और विनिर्दिष्ट जानकारी।

(क) जैव संसाधनों और पारंपरिक उपयोग की पहचान (वैज्ञानिक नाम)
(ख) बिहार में प्रस्तावित संग्रहण की भौगोलिक अवस्थिति (जिसमें गाँव, प्रखण्ड और जिला सम्मिलित हो) :
(ग) पारंपरिक ज्ञान का वर्णन और इसके मौजूदा अभिव्यक्तियों और उपयोग (मौखिक / अभिलिखित) के विवरण :
(घ) पारंपरिक ज्ञान धारित करने वाला कोई पहचाना गया व्यक्ति/समुदाय :
(ङ) संग्रहित किए जाने वाले जैव संसधानों का परिमाण (अनुसूची दें) :
(च) समयावधि जिसमें जैव संसाधनों के संग्रहित किए जाने का प्रस्ताव है।
(छ) चयन करने के लिए कंपनी द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति का नाम और संख्या :
(ज) वह प्रयोजन जिसके लिए पहुँच का अनुरोध किया गया है जिसके अन्तर्गत अनुसंसाधन की प्रक्रिया और विस्तार, व्युत्पन्न होने वाले वाणिज्यिक उपयोग और उससे व्युत्पन्न किये जाने की संभावना भी हो :
(झ) क्या संसाधन के संग्रहण से जैव विविधता के किसी घटक को संकट उत्पन्न हुआ है और वह जोखिम जो पहुँच से उत्पन्न हो सकेगा :

3. पहुँच किए गए जैव संसाधनों और पारम्परिक ज्ञान के उपयोग से समुदायों को संभावित / अपेक्षित लामों का आकलन।
4. लाम की हिस्सेदारी के लिए प्रस्तावित तंत्र और व्यवस्थाएँ।
5. कोई अन्य जानकारी जो सुसंगत समझी जाएँ।

भाग-'ख'
घोषणा

मैं / हम घोषणा करते हैं कि-

- प्रस्तावित जैव संसाधनों के संग्रहण से संसाधनों की पोषणीय उपलब्धता (sustainability) पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ;
- प्रस्तावित जैव संसाधनों के संग्रहण से कोई प्रतिकूल पर्यावरणीय प्रभाव नहीं पड़ेगा ;
- प्रस्तावित जैव संसाधनों के संग्रहण से पारिस्थितिकी प्रणाली को कोई जोखिम नहीं होगा ;
- प्रस्तावित जैव संसाधनों के संग्रहण से स्थानीय समुदायों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ;
- मैं/हम घोषणा करता हूँ/ करते हैं कि आवेदन में उपलब्ध कराई गई जानकारी सत्य और सही है और मैं/हम घोषणा करता हूँ /करते हैं कि किसी असत्य / गलत जानकारी के लिए उत्तरदायी हूँगा/होंगे।

स्थान :	हस्ताक्षरित
तारीख :	नाम / पदनाम :